LATEST

NEWS

Election

Date : 27th Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर जयपुर 27-10-2025

चुनाव • निर्वाचन आयोग ने शाम 4:15 बजे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस

आज देशव्यापी एसआईआर का ऐलान

नई दिल्ली | निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत के संबंध में सोमवार को अहम ऐलान कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान आयोग एसआईआर के पहले चरण के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है, जिसमें 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे।

शेष | पेज 5

वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

- **एसआईआर का मकसद** : मतदाता सूची को शुद्ध बनाना, दूसरे राज्य में बसे या दोहरे मतदाताओं को हटाना, मृतकों के नाम हटाना, सुनिश्चित करना कि मतदाता भारतीय नागरिक है।
- **गहन समीक्षा 2 दशक बाद क्यों?**: डेटा क्वालिटी में सुधार, एपिक नंबर जारी होने और कम लागत को देखते हुए एसआईआर की जगह एसएसआर (स्पेशल समरी रिवीजन) ने ले ली थी; पर शहरीकरण, माइग्रेशन, गैर भारतीयों की मतदाता सूची में एंट्री को देखते हुए एसआईआर की वापसी हुई है।
- **आखिरी एसआईआर कब हुआ**: दिल्ली में 2008 में और इससे पहले उत्तराखंड में 2006 में। बाकी राज्यों में यह प्रक्रिया 2002 से 2004 के बीच पूरी हुई।

दैनिक भास्कर जयपुर 27-10-2025

आज देशव्यापी एसआईआर का ऐलान...

पहले चरण में ही तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में भी एसआईआर होगा, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहला चरण 1 नवंबर से शुरू होगा। दूसरे चरण में उन राज्यों को शामिल किया जाएगा, जहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं।

पांच राज्य जहां अगले साल चुनाव होना है, वहां कैसी स्थिति

राज्य	पिछला एसआईआर (वर्ष)	अब मतदाता
असम	1.7 करोड़ (2004)	2.6 करोड़
तमिलनाडु	4.6 करोड़ (2003)	6.3 करोड़
पश्चिम बंगाल	5.8 करोड़ (2002)	7.4 करोड़
केरल	2.3 करोड़ (2003)	2.8 करोड़
पुडुचेरी	7 लाख (2003)	10 लाख

दैनिक भास्कर

जयपुर 27-10-2025

आयोग ने उप चुनाव में गाइडलाइन जारी की

चुनाव प्रचार में एआई या डिजिटल संशोधित सामग्री की लेबलिंग जरूरी

भास्कर न्यूज | जयपुर

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी (सिंथेथिकली जनरेटेड इंफोरमेशन) और एआई जनित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं प्रचार प्रतिनिधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामग्री चुनावी अखंडता, मतदाता विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बन रही है।आयोग के ताजा परामर्श में कहा गया है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई कृत्रिम सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह परामर्श जारी किया है।

• एआई या डिजिटल रूप से संशोधित सामग्री की लेबलिंग अनिवार्य रहेगी। किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित छवि, ऑडियो या वीडियो पर जैसे स्पष्ट लेबल का प्रदर्शन अनिवार्य होगा।

• दृश्य सामग्री में यह लेबल दृश्य क्षेत्र के कम से कम 10% भाग को कवर करे। वीडियो में यह ऊपरी भाग पर प्रदर्शित हो। ऑडियो सामग्री में यह प्रारंभिक 10% अवधि तक सुनाई दे।

• उत्तरदायी इकाई का नाम प्रदर्शित करना आवश्यक है। • हर एआई-जनित सामग्री में उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी इकाई का नाम या तो मेटाडाटा में या कैप्शन में दर्शाया जाए। • भ्रामक या अवैध सामग्री पर प्रतिबंध। • ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या साझा नहीं की जा सकती जो किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत रूप में प्रस्तुत करे या मतदाताओं को भ्रमित करने की संभावना रखती हो।

• भ्रामक सामग्री हटाने की समयसीमा यदि किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भ्रामक, एआई-जनित या कृत्रिम रूप से संशोधित सामग्री पाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट या संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

• एआई सामग्री का अभिलेख रखना भी राजनीतिक दल सहित अन्य के लिए अनिवार्य रहेगा।

दैनिक नवज्योति
Jaipur City - 27 Oct 2025 - Page 5

अंता विधानसभा उपचुनाव : पर्यवेक्षकों ने अंतरराज्यीय बॉर्डन नाके का किया निरीक्षण

नवज्योति, जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग के नियुक्त सामान्य पर्यविक्षक सुभाश्री नंदा एवं पुलिस पर्यविक्षक गगनदीप गंभीर ने रविवार को शाहबाद क्षेत्र में अंतरराज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका-चेक पोस्ट बेंहटा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

पर्यविक्षकों ने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से आवागमन करने वाले वाहनों की जांच प्रक्रिया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा अवैध धन, शराब या अन्य वस्तुओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर चौकसी और सघन जांच सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर शाहबाद सीओ रिछपाल मीणा, तहसीलदार अनीता सिंह, थाना प्रभारी प्रेमसिंह मीणा तथा लाइजनिंग अधिकारी उपस्थित रहे।

चुनाव आयोग कल एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा

rashtradoot

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर। चुनाव आयोग देशव्यापी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसमें एसआईआर को लेकर लागू किए जाने वाली योजना के बारे में जानकारी दी जा सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को दोबारा जांचने के लिए

C M Y K

- **माना जा रहा है कि आयोग 10-15 राज्यों में एस.आई.आर. का पहला चरण शुरु करने की घोषणा करेगा।**

बूथ लेवल अधिकारियों की मदद के लिए वॉलंटियर्स की नियुक्ति का घोषणा भी की जा सकती है।

निर्वाचन आयोग की 27 अक्टूबर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अभी तक पूरी जानकारी नहीं आई है लेकिन उम्मीद है कि चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का पहला चरण शुरू करेगा। इसमें 10 से 15 राज्य शामिल होंगे। इनमें वे राज्य भी होंगे जहां 2026

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

rashtradoot

चुनावी सामग्री और एग्जिट पोल के प्रदर्शन पर रोक

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। बिहार चुनाव में मतदान क्रमश: 6 नवंबर, 2025 और 11 नवंबर, 2025 को दो चरणों में होगा और राजस्थान में अंता विधानसभा के लिए उपचुनाव 11 नवंबर, 2025 को होगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी), किसी भी मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है।

उपरोक्त धारा में निर्दिष्ट 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु में पैनलिस्टों/प्रतिभागियों के विचार/अपील सहित ऐसी कोई सामग्री शामिल न हो जिसे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार (या उम्मीदवारों) की संभावनाओं को बढ़ावा देने/पूर्वाग्रहित करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाला माना जाए। इसमें किसी भी जनमत सर्वेक्षण का प्रदर्शन भी शामिल है।

C M Y K

चुनाव ...

rashtradoot

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में विधानसभा चुनाव होने है
ज्ञातव्य है कि पश्चिम बंगाल
तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरं
में अगले साल चुनाव होने हैं।

पश्चिम बंगाल के संबंध में एव
अधिकारी ने बताया कि हर ब्लॉक रं
सरकारी कर्मचारियों को वालंटियर वे
तौर पर चुना जा सकता है। ये लोग
बीएलओ की मदद करेंगे। ये वॉलंटिय
लोगों की जानकारी भरने में बीएलअं
की मदद करेंगे और जरूरत पड़ने प
उनकी जगह भी ले सकते हैं।

चुनाव आयोग की तैयारी

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से होगी शुरुआत

देश में अगले सप्ताह शुरू हो सकती है एसआइआर

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. चुनाव आयोग अगले सप्ताह से बिहार मॉडल की तर्ज पर मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के पहले चरण की शुरुआत कर सकता है। सोमवार को आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें ये घोषणा हो सकती है। 2026 में विधानसभा चुनाव से गुजरने वाले राज्यों प. बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, और केरल में एसआइआर की प्रक्रिया पहले चरण में ही शुरू होगी। चुनाव आयोग ने बीते दिनों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की मौजूदगी में एसआइआर को लेकर रणनीति बनाई और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने की तैयारी है।

क्या है एसआइआर?

मतदाता सूचियों की जांच पड़ताल कर अयोग्य मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया को स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। समय-समय पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची को सटीक और त्रुटिरहित बनाने का कार्य करता है।

एसआइआर का आधार क्या होगा?

पिछले एसआइआर के आंकड़े इस बार के पुनरीक्षण के लिए आधार का कार्य करेंगे। बिहार में 2003 की मतदाता सूची को आधार माना गया था। अधिकांश राज्यों में 2002 से 2004 के बीच आखिरी बार विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था।

एसआइआर की आवश्यकता क्यों?

- मृत व्यक्तियों के नाम हटाना
- एक व्यक्ति के अनेक ईपीआइसी नंबर होने का समाधान
- बाहर बस चुके लोगों के नाम हटाना
- फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना
- नए पात्र मतदाताओं (18 वर्ष) को जोड़ना
- पते में बदलाव को अपडेट करना

कब शुरू होती है प्रक्रिया?

वैसे तो चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता है, पर एसआइआर एक विशेष व्यवस्था है, जिसमें मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण किया जाता है।

इसकी क्या प्रक्रिया है?

- घर-घर सत्यापन
- बीएलओ के स्तर से डेटा जांच

कौन से दस्तावेज चाहिए?

- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण (जन्म/ स्कूल प्रमाणपत्र)
- पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो

अंतिम सूची का प्रकाशन कब?

एसआइआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है, जिसे आम जनता के लिए वेबसाइट और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाता है।

EC to announce SIR Ph-1 today; Stalin ups ante

Bharti.Jain@timesofindia.com

New Delhi: The Election Commission will on Monday announce the first phase of the pan-India special intensive revision (SIR) of electoral rolls, covering 10-15 states/ UTs, including poll-bound West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam and Puducherry.

Sources in the poll body said the initial phase will leave out states like Maharashtra, where local body elections are to be held by Jan 31, 2026, as per Supreme Court directives, as well as the snow-bound states/ UTs of J&K, Himachal, Uttarakhand, Sikkim and Ladakh. The last intensive revision of electoral rolls in India was undertaken two decades ago.

Ahead of the EC presser, Tamil Nadu CM and DMK chief M K Stalin accused BJP of "plotting to remove names from voter list" ahead of state polls, as in Bihar. "It (SIR) deprived nearly 65 lakh voters in poll-bound Bihar of their voting rights," he alleged.

FINAL ROLL BY FEB?

- Unlike Bihar, where EC launched SIR with a written order, **pan-India exercise will be announced at a press meet, allowing queries and doubts to be addressed on the spot**
- **Enrolment** for first phase of SIR – signing form and if needed, submit proof of eligibility – may start on **Nov 1**
- **Final rolls**, after settling claims and objections to draft, likely by **Jan end or early Feb**

▶Press meet, P 12

चुनाव को लेकर तैयारियां तेज

पहले 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त, अब 20 हैं मैदान में

आज नाम वापसी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अब तक 20 उम्मीदवार मैदान में हैं और नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद सोमवार को सही तस्वीर सामने आ जाएगी। 2023 में हुए चुनाव में अंता विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी थे, जिनमें से 9 जमानत भी नहीं बचा पाए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कुल 1 लाख 76 हजार 166 वोट डाले गए थे। इनमें से 102 रद्द हो गए, जबकि 1271 मतदाताओं ने किसी प्रत्याशी के बजाय नोटा को चुना। ग्यारह में से 8 प्रत्याशी तो ऐसे थे, जिनको नोटा से भी कम वोट मिले। इनमें से सात को तो एक हजार से भी कम वोट मिले। विजेता रहे कंवर लाल और दूसरे स्थान पर रहे प्रमोद जैन भाया के बीच 6 हजार से भी कम मतों का अंतर रहा। इसके विपरीत उपचुनाव में अभी तक तस्वीर यह सामने आई है कि 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जिनमें से एक का नामांकन खारिज हो गया और अब 20 ही मैदान में हैं।

निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित चुनाव से जुड़े देशभर के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें।

Unlike Bihar, pan-India SIR to be announced at press meet

▶Continued from P 1

DMK and other INDIA bloc parties have warned that BJP govt is "attempting to use EC as its puppet to replicate the same in Tamil Nadu", Stalin said in a letter to the party cadre.

"BJP and its ally AIADMK believe that if the names of voters from the working class, minorities, scheduled castes, women and the poor are deleted through SIR, they can secure victory without facing the people. But this calculation will fail in Tamil Nadu," he said.

Unlike Bihar, where EC launched SIR with a written order, the pan-India exercise will be announced at a press conference, allowing any queries and doubts to be addressed on the spot.

Sources indicated that the nationwide SIR shall be announced and conducted in stages, with three broad categories of states/UTs likely to witness the exercise later. These include states/UTs that will soon be in the grip of harsh winter and snow; ones where local body polls are due over the next three months and which are held with electoral rolls prepared as per provisions of the Representation of the People Act; and where at least 75%-80% of the electorate has already been mapped by matching current electors with entries in the roll from the last intensive revision, requiring only the remaining 20% or so to submit documents to prove their eligibility as per Article 326 of the Constitution.

Going by the three-month SIR schedule followed in Bihar, the enrolment stage for the first phase of SIR is likely to start Nov 1 and the final roll is expected to be published by Jan-end or beginning of Feb

EC sources said the list of documents to be accepted as proof of eligibility will more or less remain the same as in Bihar and will only be indicative and not exhaustive. Aadhaar will only be accepted as proof of identity.

Going by the three-month SIR schedule followed in Bihar, the enrolment stage for the first phase of SIR — requiring the elector to sign the enrolment form and, where required, submit proof of eligibility — may start on Nov 1 and the final roll published, after settling claims and objections to the draft roll, by Jan end or beginning of Feb.

The groundwork for the upcoming countrywide SIR — the intent for which was announced by EC in its June 24 notification for SIR in Bihar — has been under way for the past two months, with two separate conferences of chief electoral officers held by EC in Sept and Oct. The last CEOs conference on Oct 22-23 saw EC assessing the preparedness of all state/UT CEO offices, particularly progress of the mapping of their current electors with the roll from the last intensive revision.

With Bihar having shown the way, sources said, CEOs are better prepared for the SIR and the EC's confident of pulling off a cleaner, error-free electoral roll after removing duplicate entries, illegal immigrants, and dead or shifted voters. All state/UT rolls are digitised and mapped with the roll from the last SIR, with 50%-70% electors already linked to it; booth level officers have been trained and parties urged to appoint enough booth level agents.

EC may announce SIR dates for 10 states today

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 26

The Election Commission (EC) is set to announce the schedule for the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in at least 10 states Monday, officials said Sunday. The poll body, comprising CEC Gyanesh Kumar, and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, will address a press conference at 4.15 pm Monday, the EC said Sunday.

The invitation for the presser didn't mention the topic, but officials said it was for the SIR schedule. The SIR could start from November 1 with five states/ UTs where Assembly polls are due next year — Assam, West Bengal, Puducherry, Kerala and Tamil Nadu — and some other states. States with "peculiar circumstances", like where local body polls have been notified, could be left out for now, a source said.

On June 24, the EC decided to conduct a nation-wide SIR, starting with Bihar since polls were due. The last intensive revision in the state was in 2003. Unlike annual and pre-election Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls, where additions and deletions are carried out, under the SIR, the rolls are made afresh, with all registered electors required to submit new enumeration forms. Due to computerisation of the electoral rolls, an intensive revision has not been carried out in about two decades.

"The Commission has noted that during the 20 years significant change in electoral roll has taken place due to additions and deletions on a large scale over this long period. Rapid urbanisation and frequent migration of population from one place to another on account of education, livelihood and other reasons have become a regular trend," the EC had said in its June 24 order. The EC's June 24 order has been challenged in the Supreme Court.

In Bihar, a total of 68.66 lakh names were deleted from the rolls during the SIR. In all, Bihar's electoral roll published on September 30 shrunk by 6%. The EC had asked for additional documents from all those in Bihar who registered after 2003 to establish eligibility, including citizenship. After the SC intervened, EC accepted Aadhaar as a proof of identity not citizenship. Sources say the process for other states is likely to be along the lines of the Bihar order.

FIRST INDIA

27 October 2025

EC to announce dates for nationwide SIR today

First India Bureau

New Delhi

The ECI will announce the schedule for the SIR of electoral rolls in several states on Monday, officials said Sunday. The announcement will be made at a 4.15 pm press conference by CEC Gyanesh Kumar and ECs Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. Though the EC's media invitation did not specify the subject, officials had said the briefing would pertain to the SIR schedule. Sources said exercise could begin on November 1 and will likely cover 10 states where Assembly polls are due in 2026. P5

FIRST INDIA

27 October 2025

EC likely to appoint volunteers for SIR in Bengal: Official

PTI

Kolkata

The Election Commission is likely to announce pan-India Special Intensive Revision (SIR) of voters' list on Monday evening, officials said

The Election Commission of India (ECI) may appoint volunteers to assist booth-level officers (BLOs) during the probable special intensive revision (SIR) of electoral rolls in West Bengal, a senior official said on Sunday.

The volunteers are likely to be drawn from among government employees in each block for the exercise that may be launched soon, he said.

"This is at the planning stage... These assistants will help the BLOs fill out enumeration forms and may also be deployed as substitutes, if required," the official told PTI.

The volunteers will primarily be assigned to polling stations having more than 1,200 voters, he added.

"As a result of this cap on the number of voters per booth, the number of polling booths in the state is likely to increase by around 14,000, from the existing 80,000 to around 94,000," the official said.

दैनिक भास्कर

बारां 27-10-2025

निर्वाचन आयोग ने चुनावों में एआई-जनित सामग्री के दुरुपयोग पर लगाई पाबंदी

पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जारी किए नए निर्देश

बारां| भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं प्रचार प्रतिनिधियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामग्री चुनावी अखंडता, मतदाता विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बन रही है। आयोग के ताजा परामर्श में कहा है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई कृत्रिम सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह परामर्श जारी किया है, ताकि चुनावी प्रचार में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्मरण कराया है कि सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और आयोग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों 6 मई 2024 और 16 जनवरी 2025 का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग ने प्रमुख निर्देश दिए हैं कि एआई या डिजिटल रूप से संशोधित सामग्री की लेबलिंग अनिवार्य है। किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित छवि, ऑडियो या वीडियो पर एआई जनरेटेड, डिजिटली इन्हेन्स्ड या सिंथेटिक कंटेंट जैसे स्पष्ट लेबल का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। दृश्य सामग्री में यह लेबल दृश्य क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को कवर करे। वीडियो में यह ऊपरी भाग पर प्रदर्शित हो। ऑडियो सामग्री में यह प्रारंभिक 10 प्रतिशत अवधि तक सुनाई दें। हर एआई-जनित सामग्री में उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी इकाई का नाम या तो मेटाडाटा में या कैप्शन में दर्शाया जाए। भ्रामक या अवैध सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या साझा नहीं की जा सकती जो किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत रूप में प्रस्तुत करे या मतदाताओं को भ्रमित करने की संभावना रखती हो। यदि किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भ्रामक, एआई-जनित या कृत्रिम रूप से संशोधित सामग्री पाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट या संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। सभी राजनीतिक दलों को अपनी एआई-जनित प्रचार सामग्री का आंतरिक अभिलेख रखना होगा, जिसमें निर्माता का विवरण और समय-चिह्न शामिल हों। आयोग द्वारा मांग किए जाने पर यह अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी सामान्य एवं उपचुनावों में प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

दैनिक भास्कर

बारां 27-10-2025

सामान्य एवं पुलिस पर्यवेक्षक ने किया अंतरराज्यीय बॉर्डर नाके का निरीक्षण

भास्कर न्यूज़ | बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव–2025 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा एवं पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने रविवार को शाहबाद क्षेत्र में अंतराज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका, चेक पोस्ट बेंहटा का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पर्यवेक्षकों ने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से आवागमन करने वाले वाहनों की जांच प्रक्रिया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा अवैध धन, शराब या अन्य वस्तुओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर चौकसी और सघन जांच सुनिश्चित की जाए। इस दौरान शाहबाद सीओ रिछपाल मीणा, तहसीलदार अनीता सिंह, थाना प्रभारी प्रेमसिंह मीणा तथा लाइजनिंग अधिकारी उपस्थित रहे। अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत 11 नवम्बर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं।

अंतर्राज्यीय बॉर्डर नाके का निरीक्षण, सुरक्षा जांची

मप्र से आने वाले वाहनों और लोगों की करें सख्ती से जांच

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां/कस्बाथाना. अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा एवं पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने रविवार को शाहबाद क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका तथा चैक पोस्ट बेंहठा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यवेक्षकों ने चैक पोस्ट पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से आवागमन करने वाले वाहनों की जांच प्रक्रिया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा अवैध धन, शराब एवं अन्य वस्तुओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन अवधि के दौरान अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए चैक पोस्ट पर चौकसी और सघन जांच सुनिश्चित की जाए।

11 को डलेंगे वोट

11 नवम्बर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान शाहबाद पुलिस उपाधीक्षक रिछपाल मीणा, तहसीलदार अनीता सिंह, थाना प्रभारी प्रेमसिंह मीणा तथा लाइजनिंग अधिकारी उपस्थित रहे।

अंता उपचुनाव

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने जारी की गाइडलाइन

एआई वीडियो, फोटो पर रोक, पारदर्शिता और जवाबदेही तय

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां/जयपुर. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं प्रचार प्रतिनिधियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामग्री चुनावी अखंडता, मतदाता विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बन रही है।

आयोग के ताजा परामर्श में कहा गया है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई कृत्रिम सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह परामर्श जारी किया है, ताकि चुनावी प्रचार में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्मरण कराया है कि सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और आयोग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों (दिनांक 6 मई, 2024 और 16 जनवरी, 2025) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या साझा नहीं की जा सकती जो किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत रूप में प्रस्तुत करे या मतदाताओं को भ्रमित करने की संभावना रखती हो। यदि किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भ्रामक, एआई-जनित या कृत्रिम रूप से संशोधित सामग्री पाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट या संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

निर्वाचन आयोग ने यह दिए निर्देश

एआई या डिजिटल रूप से संशोधित सामग्री की लेबलिंग अनिवार्य होगी। किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित छवि, "ऑडियो या वीडियो पर एआई जनरेटेड, डिजिटली एन्हैंस्ड या सिंथेटिक कंटेंट जैसे स्पष्ट लेबल का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। दृश्य सामग्री में यह लेबल दृश्य क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को कवर करे। वीडियो में यह ऊपरी भाग पर प्रदर्शित हो। ऑडियो सामग्री में यह प्रारंभिक 10 प्रतिशत अवधि तक सुनाई दे। हर एआई-जनित सामग्री में उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी इकाई का नाम या तो मेटाडाटा में या कैप्शन में दर्शाया जाए।

एआई सामग्री का अभिलेख रखना अनिवार्य

सभी राजनीतिक दलों को अपनी एआई-जनित प्रचार सामग्री का आंतरिक अभिलेख रखना होगा, जिसमें निर्माता का विवरण और समय-चिह्न शामिल हों। आयोग द्वारा मांग किए जाने पर यह अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी सामान्य एवं उपचुनावों में प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

आज दोपहर 3 बजे तक होगी नाम वापसी

319 मतदाता दो चरणों में करेंगे होम वोटिंग

शेष प्रत्याशियों को आवंटित कर दिए जाएंगे चुनाव चिन्ह

बारां. आगामी 11 नवम्बर को होने वाले अन्ता विधानसभा के उप चुनाव में सोमवार 27 अक्टूबर को नामांकन वापसी का अन्तिम दिन है। इस दिन प्रत्याशी जो नामांकन पत्र वापस लेना चाहेगा। उसे 3 बजे तक नामांकन वापस लेना होगा। आरओ हवाई सिंह यादव ने बताया कि अन्ता विधानसभा के उप चुनाव में कुल 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय रहेगा। यदि कोई नामांकन वापस लेता है तो शेष रहने वाले प्रत्याशीयो को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 नवम्बर से होम वोटिंग शुरु हो जाएगी। दो चरणो में होने वाली होम वोटिंग प्रथम चरण में 2 से 5 नवम्बर तक होगी। इसके बाद भी यदि कोई शेष रह जाता है तो दूसरे चरण में 8 व 9 नवम्बर को होम वोटिंग करवाई जाएगी। अन्ता विधानसभा क्षेत्र में कुल 319 मतदाता होम वोटिंग करेंगे।

पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने किया संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण

अधिकारियों को सतर्क एवं सक्रिय रहने के निर्देश दिए

आपका साक्षी। बारां

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पुलिस पर्यवेक्षक ने अंता-पलायथा चेक पोस्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने संयुक्त टीम द्वारा अब तक की गई चेकिंग का विस्तृत विवरण लिया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट की व्यवस्थाओं, रिकॉर्ड संधारण एवं वाहनों की जांच प्रक्रिया की जानकारी ली। साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बॉयज कॉलेज स्थित स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गगनदीप गंभीर ने सोरसन, अंता, सीसवाली और मूण्डली क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करें और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हो सके। पुलिस पर्यवेक्षक ने मांगरोल क्षेत्र के संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र क् बोहत, भटवाड़ा, जलोदा तेजाजी, माल बम्बोरी और रकसपुरिया क् का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान के दिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या भय का माहौल न बने, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क एवं सक्रिय रहने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने बारां सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र बामला एवं कोटड़ी तुलसां का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। निरीक्षण के दौरान एडीएम भंवर लाल जनागल, एएसपी राजेश चौधरी, पुलिस अधिकारी एवं लाईजनिंग अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पर्यवेक्षकों ने किया अंतरराज्यीय बॉर्डर नाके का निरीक्षण

संदेश न्यूज। बारां.

अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा एवं पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने रविवार को शाहबाद क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका, चैक पोस्ट बेंहटा का निरीक्षण किया।

उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यवेक्षकों ने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से आवागमन करने वाले वाहनों की जांच प्रक्रिया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा अवैध धन, शराब या अन्य वस्तुओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर चौकसी और सघन जांच सुनिश्चित की जाए।

अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत 11 नवम्बर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं।

एआई सामग्री के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

संदेश न्यूज। बारां.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं प्रचार प्रतिनिधियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामग्री चुनावी अखंडता, मतदाता विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बन रही है। आयोग के परामर्श में कहा गया है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई कृत्रिम सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह परामर्श जारी किया है, ताकि चुनावी प्रचार में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित छवि, ऑडियो या वीडियो पर स्पष्ट लेबल का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। दृश्य सामग्री में यह लेबल दृश्य क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को कवर करें। वीडियो में यह ऊपरी भाग पर प्रदर्शित हो। ऑडियो सामग्री में यह प्रारंभिक 10 प्रतिशत अवधि तक सुनाई दे। हर एआई-जनित सामग्री में उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी इकाई का नाम या तो मेटाडाटा में या कैप्शन में दर्शाया जाए। ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या साझा नहीं की जा सकती जो किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत रूप में प्रस्तुत करें या मतदाताओं को भ्रमित करने की संभावना रखती हो। किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भ्रामक, एआई-जनित या कृत्रिम रूप से संशोधित सामग्री पाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट या संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। ये सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी सामान्य एवं उपचुनावों में प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

साइलेंस पीरियड में चुनावी सामग्री और एग्जिट पोल के प्रदर्शन पर रोक

बारां, 26 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

राजस्थान में अंता विधानसभा के लिए उपचुनाव 11 नवंबर, 2025 को होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी), किसी भी मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त धारा में निर्दिष्ट 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु में पैनलिस्टों/प्रतिभागियों के विचार/अपील सहित ऐसी कोई सामग्री शामिल न हो जिसे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार की संभावनाओं को बढ़ावा देने/पूर्वाग्रहित करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाला माना जाए। इसमें किसी भी जनमत सर्वेक्षण का प्रदर्शन भी शामिल है। आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल और उनके परिणामों का प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आयोग सभी मीडिया समूहों को सलाह देता है कि वे इसकी भावना के अनुरूप इस संबंध में निर्देशों का पालन करें।

निर्वाचन आयोग ने चुनावों में एआई-जनित सामग्री के दुरुपयोग पर लगाई रोक

पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के नए निर्देश

बारां, 26 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं प्रचार प्रतिनिधियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामग्री चुनावी अखंडता, मतदाता विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बन रही है। आयोग के ताज़ा परामर्श में कहा गया है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई कृत्रिम सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह परामर्श जारी किया है, ताकि चुनावी प्रचार में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्मरण कराया है कि सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और आयोग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों (6 मई, 2024 और 16 जनवरी, 2025) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

भ्रामक या अवैध सामग्री पर प्रतिबंध-

ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या साझा नहीं की जा सकती जो किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज़ को उसकी सहमति के बिना गलत रूप में प्रस्तुत करे या मतदाताओं को भ्रमित करने की संभावना रखती हो।

भ्रामक सामग्री हटाने की समय सीमा-

यदि किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भ्रामक, एआई-जनित या कृत्रिम रूप से संशोधित सामग्री पाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट या संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

एआई सामग्री का अभिलेख रखना अनिवार्य-

सभी राजनीतिक दलों को अपनी एआई-जनित प्रचार सामग्री का आंतरिक अभिलेख रखना होगा, जिसमें निर्माता का विवरण और समय-चिन्ह शामिल हों। आयोग द्वारा मांग किए जाने पर यह अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी सामान्य एवं उपचुनावों में प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

सामान्य एवं पुलिस पर्यवेक्षक ने किया अंतर्राज्यीय बॉर्डर नाके का निरीक्षण

बारां, 26 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा एवं पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने रविवार को शाहबाद क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका/चेक पोस्ट बेंहटा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यवेक्षकों ने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से आवागमन करने वाले वाहनों की जांच प्रक्रिया,

संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा अवैध धन, शराब या अन्य वस्तुओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर चौकसी और सघन जांच सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर शाहबाद सीओ रिछपाल मीणा, तहसीलदार अनीता सिंह, थाना प्रभारी प्रेमसिंह मीणा तथा लाइजनिंग अधिकारी उपस्थित रहे। अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत 11 नवम्बर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं।